लेवी चीनी मूल्य समानीकरण निधि

565. **श्री अजीत जोगी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलें लेवी चीनी मूल्य समानीकरण निधि में नियमित रूप से अंशदान कर रही हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के नाम पर कितनी-कितनी राशि बकाया पड़ी है ;

(ग) लेवी चीनी मूल्य समानीकरण निधि के उद्देश्य क्या हैं और यह किस प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्य कर रहा है ;

(घ) क्या लेवी चीनी के दामों में समानता लाने के लिए राज्य सरकारों को इस निधि से सहायता दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों को इस निधि से सहायता उपलब्ध कराई गई तथा चालू वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों को सहायता उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं। वर्तमान नीति के अनुसार चीनी मिलों द्वारा लेवी चीनी मूल्य समीकरण निधि में अंशदान देना अपेक्षित नहीं है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों अथवा उनके नामितों के प्रति बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम	1992–93	1993–94	कुल देय राशि
गुजरात	10.04	—	10.04
महाराष्ट्र	10.08	4.79	14.87
	20.12	4.79	24.91

(ग) इस निधि के तन्त्र के जरिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन समस्त देश में एक-समान खुदरा मूल्य पर उपभोक्ताओं को लेवी चीनी उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय खाद्य नियम द्वारा इस निधि का परिचालन किया जा रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1992–93 के दौरान इस निधि में 250.05 करोड़ रुपए के घाटे के कारण किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को 1992–93 और 1993–94 के दौरान सहायता मुहैया नहीं की जा सकी थी। बाद में यह घाटा 31–3–93 को स्थिति के अनुसार 363.39 करोड़ रुपए हो गया। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की सभी बकाया राशि का वर्ष 1994–95 के दौरान निपटान किए जाने की आशा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि को वर्ष 1994–95 के दौरान इस निधि से सहायता मिलने की सम्भावना है।

गुड़ का उत्पादन

566. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गुड़-उत्पादन के संबंध में एक नियम बनाया है जिसमें किसी किसान द्वारा प्रति/वर्ष प्रति मौसम उत्पादित की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के नियम को लागू करने का औचित्य क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।